

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक 316 / दो-2-1 / 2012-2026

रतलाम, दिनांक : 23.04.2026

कार्य विभाजन पत्रक

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश क्रमांक 355/गोपनीय/2026/दो-3-1/2026 दिनांक 05.04.2026 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश क्रमांक 359/गोपनीय/2026/दो-3-1/2026 दिनांक 05.04.2026 के द्वारा जिला मुख्यालय रतलाम एवं तहसील जावरा पर व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खंड न्यायाधीशगण के स्थानांतरण होने से उत्पन्न हुई एवं अन्य परिस्थितियों को देखते हुए मैं नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 194/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यविभाजन पत्रक आदेश क्रमांक 40/दो-2-1/2012-26 रतलाम दिनांक 13.01.2026 में पूर्व में हुए संशोधनों को समाहित करते हुए न्यायिक स्थापना जिला रतलाम के अंतर्गत जिला न्यायालय रतलाम तथा तहसील न्यायालय जावरा, आलोट एवं सैलाना में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन पत्रक दिनांक 23.04.2026 से आगामी आदेश तक जारी करती हूँ:-

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिसका निराकरण किया जाना है।
1	2	3	4
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम (म.प्र.)	आपराधिक खंड संपूर्ण सत्र खण्ड रतलाम	1. सत्र प्रकरण 2. आपराधिक रिवीजन, न्याय पंचायत की रिवीजन (जावरा एवं आलोट तहसील से उत्पन्न रिवीजन को छोड़कर) 3. आपराधिक अपील (जावरा एवं आलोट तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली अपील को छोड़कर) 4. दं.प्र.सं. की धारा 199/बी.एन.एस.एस की धारा 222 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439/बी.एन.एस.एस की धारा 482 एवं 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदनपत्र (जावरा एवं आलोट तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवेदनपत्रों को छोड़कर)। 6. दं.प्र.सं. की धारा 341/ बी.एन.एस.एस की धारा 380 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें। 7. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की अपीले 8. आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अपराध से संबंधित अपीले। 9. विविध अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण व अन्य प्रकरण जो कार्यविभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं।

		साम्पत्तिक खंड जिला रतलाम एवं तहसील सैलाना	1. रुपये 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक मूल्य के सांपत्तिक वाद तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 2. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ रतलाम, व सैलाना के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध धारा 96 सी.पी.सी. के तहत नियमित सिविल अपीलें। 3. रतलाम मुख्यालय एवं तहसील सैलाना के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खंड के न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आदेश 43 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत विविध अपीलें एवं इनसे संबंधित अनुसांगिक कार्यवाहिया। 4. स्थानीय एवं विशेष विधि के अन्तर्गत प्रस्तुत विविध अपील व निर्वाचन याचिकाएँ। 5. मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत रतलाम तहसील के आरक्षी केन्द्र, स्टेशन रोड, औद्योगिक क्षेत्र एवं शासकीय रेल्वे पुलिस की सीमाओं के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त क्लेम प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 6. व्य.प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदनपत्र। 7. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 से उद्भूत चुनाव याचिकाएं एवं उनसे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाहियां। 8. सिविल जिला रतलाम की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग एवं दावों का विचारण एवं इनसे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाहियों हेतु विशेष न्यायालय। 9. गार्जीयन एण्ड वार्डस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 10. इनसाल्वेन्सी एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।
2	अनन्य विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी एक्ट) एवं प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रतलाम	सत्र खण्ड रतलाम	1. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के साथ पाक्सो अधिनियम (योन अपराधों से बालकों का संरक्षण) 2012 से संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाहियों को छोड़कर) से संबंधित प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदनपत्र।

		रतलाम	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये, पूर्व से दर्ज ट्रांसफर प्रकरण एवं सापत्तिक अपील एवं अन्य प्रकरण, पूर्व में निराकरण प्रकरणों की अनुषांगिक कार्यवाहियां
3	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश(पी.सी. एक्ट) रतलाम	सत्र खण्ड रतलाम	1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया । 2. म.प्र. विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण व इससे संबंधित समस्त कार्यवाहिया । 3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदनपत्र ।
		तहसील रतलाम, सैलाना, बाजना रतलाम,सैलाना (जावरा एवं आलोट को छोड़कर)	1. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में तहसील सैलाना में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सैलाना द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय के विरुद्ध नियमित अपीलें 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध नियमित अपीलें 3. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक मूल्य के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाहिया तथा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित समस्त निष्पादन प्रकरण रुपये 3 लाख तक । (वाणिज्यिक विवाद अधिनियम 2018 के संशोधन के पश्चात तीन लाख रुपये से अधिक मूल्य के वाणिज्यिक विवाद की अधिकारिता वाणिज्यिक न्यायालय को प्रदान की गई है।) 4. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण विधान के अंतर्गत उत्पन्न अपीले एवं अन्य कार्यवाहिया । 5. अन्य विशेष विधि एवं स्थानीय विधि के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यवहारिक प्रकरण । 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाली साम्प्रतिक नियमित एवं विविध अपीले ।
4	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम एवं विशेष न्यायाधीश एन. डी.पी. एस. एक्ट रतलाम	सत्र खण्ड रतलाम/सैलाना	1 अतिरिक्त विशेष न्यायालय जावरा एवं आलोट को दी गई अधिकारिता को छोड़कर रतलाम सत्र खण्ड से उद्भूत एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहियां।(अधिसूचना क्रमांक ए 2852 दिनांक 10.04.24) 2 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के अंतर्गत रतलाम जिले के प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक

			कार्यवाहिया संपूर्ण जिला (म.प्र. शासन विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1976/21-ब(एक)/2024 दिनांक 08.05.2024) 3 अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत रतलाम जिले के प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे संबंधित अनुषांगिक कार्यवाहिया 4 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदनपत्र।
		साम्प्रतिक खंड तहसील रतलाम, सैलाना	1. मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत रतलाम तहसील के आरक्षी केन्द्र, नामली एवं दीनदयाल नगर की सीमाओं के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त क्लेम प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 2 बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण। 3 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के पूर्व के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 4 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण।
5	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम	सत्र खण्ड रतलाम/सैलाना	1 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/6090 (ओ.ए.डब्ल्यू) तीन-6-84 दिनांक 13.08.2024 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध (रेप गैंगरेप, मर्डर वीथ रेप तथा इनसे संबंधित समस्त अन्य अपराध) अपराध से संबंधित सत्र प्रकरण एवं इनसे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहिया (पूर्व में अधिसूचित रहे ओ.ए.डब्ल्यू के न्यायालयों से संबंधित समस्त कार्यवाहिया) 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदनपत्र।
6	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम		रिक्त न्यायालय
7	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	सत्र खंड रतलाम, सैलाना	1 विद्युत अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकार का आपराधिक प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय हो। पूर्व के अपर सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों की अनुसांगिक कार्यवाहिया (अधिसूचना क्रमांक ए/1170/तीन-6-4 /2003 दिनांक 19.02.2025)

			3 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदनपत्र।
		सिविल खण्ड रतलाम, सैलाना	1 मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत रतलाम तहसील के आरक्षी केन्द्र, शिवगढ एवं सरवन की सीमाओं के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त क्लेम प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध नियमित अपीलें 3 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग-7 एवं भाग-9 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनपत्र तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 4 हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 5 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण।
8	षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अनन्य विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम 2012, रतलाम	सत्र खंड रतलाम, सैलाना	1 पास्को एक्ट 2012 से संबंधित आरक्षी केन्द्र माणकचौक, डी.डी. नगर, बिलपांक, शिवगढ, रावटी, सरवन, स्टेशन रोड, जी.आर.पी., औद्योगिक क्षेत्र रतलाम, नामली, सैलाना, बाजना एवं महिला थाना से संबंधित प्रकरण एवं इस एक्ट से संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाहियां।(पूर्व में अधिसूचित रहे पाक्सो अधिनियम के न्यायालयों से संबंधित समस्त कार्यवाहियां) (अधिसूचना क ए/2073 दि. 25.03.2025) 2 अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के साथ पाक्सो अधिनियम(योन अपराधों से बालकों का संरक्षण) 2012 से संबंधित आरक्षी केन्द्र माणकचौक, डी.डी. नगर, बिलपांक, शिवगढ, रावटी, सरवन, स्टेशन रोड, जी.आर.पी., औद्योगिक क्षेत्र रतलाम, नामली, सैलाना, बाजना एवं महिला थाना एवं तहसील जावरा एवं आलोट से संबंधित प्रकरण एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाहियां। 3 बालक न्यायालय से संबंधित समस्त कार्य एवं पूर्व में बालक न्यायालय के रूप में जिले में किसी भी निराकृत प्रकरण से संबंधित समस्त कार्यवाही।(सत्र खंड रतलाम, जावरा, आलोट सैलाना) 4 अनियमित जमा योजना एक्ट 2019 से

			संबंधित प्रकरण। 5 किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015) की धारा 101 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील (विधि का उल्लंघनकर्ता बालक के विधि विरुद्ध सुपुर्दगी आवेदनपत्र(जमानत) की निरस्ती के विरुद्ध) 6 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदनपत्र।
		सिविल खंड	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण।
09	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	आपराधिक खंड	1 घृणित एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण तथा इनसे संबंधित अनुसांगिक कार्यवाहियां 2 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदनपत्र।
		सिविल खंड	1. मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत रतलाम तहसील के आरक्षी केन्द्र, बिलपांक, बाजना, रावटी की सीमाओं के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त क्लेम प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 2 हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विवाह संबंधित विवाद के समस्त वाद पारिवारिक विवादों के प्रकरण तथा भारतीय तलाक अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया 3 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 4 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण।
10	अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	आपराधिक खंड	1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदनपत्र।
		सिविल खंड	1. मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत रतलाम तहसील के आरक्षी केन्द्र, सैलाना एवं माणकचौक की सीमाओं के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त क्लेम प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया एवं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत रतलाम जिले के निवासी(जावरा एवं आलोट

			तहसील के निवासी को छोड़कर) जिनके साथ अन्य जिलों में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त क्लेम प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 2. मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन। 3. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण। 4. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिका। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण।
11	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम	तहसील रतलाम	1. रुपये 40,00,001 से 60,00,000 (चालीस लाख एक से साठ लाख) तक के सांप्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 एवं 172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व से लंबित प्रकरणों का निराकरण इसी न्यायालय द्वारा किया जावेगा। 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदनपत्र तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहियां। (जनवरी से जून) 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
12	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम(स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट)	तहसील रतलाम	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
13	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम	तहसील रतलाम	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
14	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम	तहसील रतलाम	1 रुपये 05,00,001 से 20,00,000 (पांच लाख एक से बीस लाख) तक के सांप्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
15	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम	तहसील रतलाम	1 रुपये 20,00,001 से 40,00,000 (बीस लाख एक से चालीस लाख) तक के सांप्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे

			संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. एक रुपये से अधिक एवं रुपये 500/- (पांच सौ) तक के लघुवाद प्रकरण जिनकी सुनवाई हेतु सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत अधिकृत। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
16	षष्ठम व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम	तहसील रतलाम	1. रुपये 60,00,001 से 80,00,000 (साठ लाख एक से अस्सी लाख) तक के सांपत्तिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
17	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, रतलाम	तहसील रतलाम	1. रुपये 80,00,001 से 1,00,00,000 (अस्सी लाख एक से एक करोड़) तक के सांपत्तिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदनपत्र तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहियां। (जुलाई से दिसम्बर) 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
18	प्रथम व्य. न्या. कनिष्ठ खंड रतलाम	तहसील रतलाम	1. रुपये 1,00,001/- से 1,50,000/- (रु. एक लाख एक से एक लाख पचास हजार) तक के साम्पत्तिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
19	द्वितीय व्यवहार न्या. कनिष्ठ खंड रतलाम		रिक्त न्यायालय
20	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम		1. रुपये 50,001/- से 1,00,000/- (रु. पचास हजार एक से एक लाख) तक के साम्पत्तिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
21	चतुर्थ व्य.न्या. कनिष्ठ खंड, रतलाम	तहसील रतलाम	1. रु 1/- से 50,000/- (रु एक से पचास हजार) तक के साम्पत्तिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण।

			3 जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
22	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम		1 जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
23	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम	तहसील रतलाम	1. रुपये 1,50,001/- से 2,00,000/- (रु. एक लाख पचास एक से दो लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
24	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम	तहसील रतलाम	1. रुपये 2,00,001/- से 2,50,000/- (रु. दो लाख एक से दो लाख पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
25	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम	तहसील रतलाम	1. रुपये 2,50,001/- से 3,25,000/- (रु. दो लाख पचास हजार एक से तीन लाख पच्चीस हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
26	नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम	तहसील रतलाम	2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
27	दशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम	तहसील रतलाम	1. रुपये 3,25,001/- से 4,50,000/- (रु. तीन लाख पच्चीस हजार एक से चार लाख पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
28	ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम	तहसील रतलाम	1. रुपये 4,50,001/- से 5,00,000/- (रु. चार लाख पचास हजार एक से पांच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण

तहसील जावरा

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिसका निराकरण किया जाना है।
1	2	3	4
01	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा जिला रतलाम	सत्र खण्ड जावरा	1 पुलिस थाना शहर जावरा का स्थानीय क्षेत्र, आरक्षी केन्द्र शहर जावरा, औद्योगिक क्षेत्र, जावरा, कालूखेड़ा, रिंगनोद, बड़ावदा तथा एवं पिपलौदा पुलिस थाना से उद्भूत एवं एन.सी.बी. से उद्भूत एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। अधिसूचना क ए/2852 दि. 10.04.2024) 2. विद्युत अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। (रजिस्ट्री अधिसूचना सी/788 दिनांक 05.02.2025) तहसील जावरा हेतु 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439/बी.एन.एस.एस की धारा 482 एवं 483 के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र कालूखेड़ा एवं पिपलौदा, औद्योगिक क्षेत्र जावरा, के प्रस्तुत होने वाले समस्त (सभी प्रकार के) आवेदनपत्र, विशेष अधिनियम को छोड़कर। 4 जावरा तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले विविध आपराधिक प्रकरण। 5. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा(जेएमएफसी) के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली आपराधिक अपील एवं रिवीजन 6. घृणित एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण एवं इससे संबंधित अनुसांगिक कार्यवाहियां 7 मध्य प्रदेश निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण 8 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका।
		सिविल खंड	1 जावरा तहसील के रुपये 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक के सांपत्तिक वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।

			(दिनांक 01.01.2026 से 31.03.2026 एवं 01.07.2026 से 30.09.2026) 2. मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत तहसील बडावदा, पिपलौदा, रिगनोद पुलिस थाना की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण एवं जो तहसील जावरा के निवासी होकर जिनके साथ अन्य जिलों में घटित दुर्घटना से उत्पन्न समस्त प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 3. जावरा में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड द्वारा पारित निर्णय डिक्री एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपीलें तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 4. लघुवाद न्यायालय के अंतर्गत रुपये 500/- पांच सौ से अधिक एवं रुपये 1000/- एक हजार तक के लघुवाद प्रकरण जिनकी सुनवाई धारा 9 सिविल कोर्ट के अंतर्गत अधिकृत तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 5. रुपये 20,000/- बीस हजार तक के दिवालीये प्रकरण जो दिनांक 31.12.1987 तक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 जावरा के न्यायालय में विचाराधीन हो उनमें दिये गये आदेश के विरुद्ध अपीलें तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 6. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 एवं इसके पूर्व के अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 7. हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विवाह संबंधी विवादों के प्रकरण तथा भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। (जुलाई 2026 से आगामी आदेश तक) 8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण।
02	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं	सत्र खण्ड जावरा	1. पास्को(POCSO) एक्ट 2012 से संबंधित प्रकरण एवं इस एक्ट से संबंधित अनुसांगिक कार्यवाहियां। 2. पास्को(POCSO) एक्ट 2012 से संबंधित घृणित एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण व अंतरित जमानत आवेदनपत्र सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदनपत्र। 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439/ बी.एन.एस.एस की धारा 482 एवं 483 के

			अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र, बडावदा, रिंगनोद एवं जावरा शहर(सिटी), आबकारी वृत्त तहसील जावरा, के प्रस्तुत होने वाले समस्त (सभी प्रकार के) आवेदनपत्र, विशेष अधिनियम को छोड़कर। 4. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जावरा(जेएमएफसी) के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली आपराधिक अपील एवं रिवीजन। 5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका।
		सिविल खंड	1 जावरा तहसील के रुपये 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक के सांपत्तिक वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। (दिनांक 01.04.2026 से 30.06.2026 एवं 01.10.2026 से 31.12.2026) 2. मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत तहसील जावरा के आरक्षी केन्द्र औ. क्षे. जावरा, कालूखेडा एवं जावरा शहर पुलिस थाना की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण एवं जो तहसील जावरा के निवासी होकर जिनके साथ अन्य जिलों में घटित दुर्घटना से उत्पन्न समस्त प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 3. जावरा में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, द्वारा पारित निर्णय डिक्री एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपीलों तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 4. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक मूल्य के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाहियों को छोड़कर मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित समस्त निष्पादन प्रकरण रुपये 3 लाख तक। (वाणिज्यिक विवाद अधिनियम 2018 के संशोधन के पश्चात तीन लाख रुपये से अधिक मूल्य के वाणिज्यिक विवाद की अधिकारिता वाणिज्यिक न्यायालय को प्रदान की गई है।) (तहसील रतलाम, सैलाना एवं आलोट को छोड़कर) 5 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विवाह संबंधी विवादों के प्रकरण तथा भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। (जनवरी से जून 2026)

			6. हिन्दु एडाप्शन एवं मेन्टेनेन्स एक्ट 1986 के प्रकरण एवं गार्जीयन एवं वार्डस एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 7 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग-7, भाग-9 एवं भाग-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदनपत्र तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया (भाग-10 के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 तक के लंबित आवेदनपत्र में दिये गये आदेश के विरुद्ध अपीलें।) 8 स्थानीय एवं विशेष विधि के अंतर्गत प्रस्तुत दिवानी एवं विविध अपीलें एवं अन्य प्रकरण। 9. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत चुनाव याचिकाएँ या रिवीजन। 10 इनसाल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 11 अनुविभागीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय से उत्पन्न समस्त पुनरीक्षण एवं आपराधिक अपीलें एवं सिविल न्यायालय को वेष्टित कार्यवाहियों। 12 बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले अपर जिला न्यायाधीश जावरा के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण। 13 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण विधान के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें एवं अन्य कार्यवाहिया। 14 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका।
03	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश जावरा		रिक्त न्यायालय
04	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा		रिक्त न्यायालय
05	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ जावरा	तहसील जावरा	1 रुपये 50,00,001 से 1,00,00,000 (पचास लाख एक से एक करोड़) तक के सांपत्तिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2 बाह्य न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण। 3 रुपये 500/- (पांच सौ) तक के लघुवाद जो सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अधीन

			अधिकृत। 4 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
06	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा	तहसील जावरा	1. रुपये 5,00,001/- से रुपये 50,00,000/- (रु पांच लाख एक से पचास लाख रु.) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 एवं 172 के अन्तर्गत। 3. भारतीय सक्सेशन एक्ट के भाग 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदनपत्र 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
07	चतुर्थ व्यव. न्या. वरि. खंड जावरा	तहसील जावरा	पद रिक्त
08	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जावरा		रिक्त न्यायालय
09	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जावरा	तहसील जावरा	1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
10	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जावरा		1. रुपये 4,00,001/- से रुपये 5,00,000/- (रु चार लाख एक रुपये से पांच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
11	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जावरा	तहसील जावरा	1. रुपये 2,00,001/- से रुपये 4,00,000/- (रु दो लाख एक रुपये से चार लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. बाह्य न्याय. से प्राप्त होने वाले व्य. न्याया. वर्ग-2 जावरा के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
12	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जावरा		रिक्त न्यायालय
13	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जावरा	तहसील रतलाम	1. रुपये 01/- से रुपये 2,00,000/- (रु एक रुपये से दो लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।

			2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
--	--	--	---

तहसील आलोट

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिसका निराकरण किया जाना है।
1	2	3	4
01	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोट	सत्र खण्ड, रतलाम तहसील आलोट	1. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आलोट के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली आपराधिक अपीलें एवं रिवीजन। 2. महिलाओं के विरुद्ध (रेप गैंगरेप, मर्डर वीथ रेप तथा इनसे संबंधित समस्त अन्य अपराधों) अपराध से संबंधित सत्र प्रकरण एवं इनसे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां 3. थाना आलोट एवं ताल क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले विविध आपराधिक प्रकरण। 4. थाना आलोट एवं ताल से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 (बी.एन.एस.एस) की धारा 482 एवं 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदनपत्र (विशेष अधिनियम को छोड़कर) 5. घृणित एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण (लैंगिक शोषण से बालकों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर) एवं इससे संबंधित अनुसांगिक कार्यवाहियां 6. मध्य प्रदेश निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण
		सिविल खण्ड, तहसील आलोट	1. आलोट तहसील के रुपये 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक के सांपत्तिक वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। (जनवरी 2026 से जून 2026) 2. मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आलोट पुलिस थाना की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण एवं जो तहसील आलोट के निवासी होकर जिनके साथ अन्य जिलों में घटित दुर्घटना से उत्पन्न समस्त प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहियां 3. आलोट में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड द्वारा पारित निर्णय डिक्री एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित अपीलों एवं विविध अपीलों तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहियां।

			4. इनसाल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 5. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण विधान के अंतर्गत उत्पन्न अपीले एवं अन्य कार्यवाहिया। 6. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक मूल्य के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाहियों को छोड़कर मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित समस्त निष्पादन प्रकरण रुपये 3 लाख तक। (वाणिज्यिक विवाद अधिनियम 2018 के संशोधन के पश्चात तीन लाख रुपये से अधिक मूल्य के वाणिज्यिक विवाद की अधिकारिता वाणिज्यिक न्यायालय को प्रदान की गई है।) 7. हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विवाह संबंधी विवादों के प्रकरण तथा भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। (जनवरी से जून 2026) 8. स्थानीय एवं विशेष विधि के अंतर्गत प्रस्तुत दिवानी एवं विविध अपीलें एवं अन्य प्रकरण। 9. बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले अपर जिला न्यायाधीश आलोट के क्षेत्राधिकार से सम्बंधित प्रवर्तन प्रकरण। 10. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 11. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण।
02	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोट के न्यायालय के अति. न्यायाधीश आलोट एवं विशेष न्यायाधीश(एनडीपीएसएक्ट) रतलाम	सत्र खण्ड, रतलाम तहसील आलोट	1. थाना बरखेडा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले विविध आपराधिक प्रकरण। 2. थाना बरखेडा एवं आबकारी वृत्त तहसील आलोट क्षेत्र से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003(बी.एन.एस.एस) की धारा 482 एवं 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदनपत्र (विशेष अधिनियम को छोड़कर) 3. पास्को(POCSO) एक्ट 2012 से संबंधित प्रकरण एवं इस एक्ट से संबंधित अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. पास्को (POCSO) एक्ट 2012 से संबंधित घृणित एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण व अंतरित जमानत आवेदनपत्र सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदनपत्र।

		5 पुलिस थाना ताल, आलोट एवं बरखेडा से उद्भूत एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 6 विद्युत अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकार का आपराधिक प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय हो। 7. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका। 8 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विवाह संबंधी विवादों के प्रकरण तथा भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। (जुलाई 2026 से आगामी आदेश तक) 9 अनुविभागीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय से उत्पन्न समस्त पुनरीक्षण एवं आपराधिक अपीलें एवं सिविल न्यायालय को वेष्टित कार्यवाहियाँ।
	सिविल खण्ड, तहसील आलोट	1. आलोट तहसील के रुपये 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक के सांपत्तिक वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। (जुलाई 2026 से दिसम्बर 2026) 2. मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बरखेडा एवं ताल के पुलिस थाना की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण एवं जो उक्त आरक्षी केन्द्रों के स्थानीय निवासी होकर जिनके साथ अन्य जिलों में घटित दुर्घटना से उत्पन्न समस्त प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया 3. आलोट में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड द्वारा पारित निर्णय डिक्री एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित अपीलें एवं विविध अपीलें तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 4. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत चुनाव याचिकाएँ या रिवीजन। 5 हिन्दू एडाप्शन एवं मेन्टेनेन्स एक्ट 1986 के प्रकरण एवं गार्जीयन एवं वार्डस एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 6 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग-7, भाग-9 एवं भाग-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदनपत्र तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया (भाग-10 के अन्तर्गत दिनांक 31

			दिसम्बर, 1987 तक के लंबित आवेदनपत्र में दिये गये आदेश के विरुद्ध अपीलें।) 7 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण।
03	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट	तहसील आलोट	1. रुपये 5,00,001/- से रुपये 1,00,00,000/- (रु पांच लाख एक से एक करोड़ रु.) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2 बाह्य न्यायालयों से प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण 3. भारतीय सक्सेशन एक्ट के भाग 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदनपत्र 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
04	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड आलोट के अति न्यायाधीश आलोट आलोट		रिक्त न्यायालय
05	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड आलोट	तहसील आलोट	रिक्त न्यायालय
06	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड आलोट	तहसील आलोट	1 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
07	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड आलोट	तहसील आलोट	1. रुपये 1/-से 5,00,000/- (रु एक रुपये से पांच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2 बाह्य न्यायालयों से प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड आलोट के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण 3 500/- (पाँच सौ) तक के लघुवाद जिनकी सुनवाई हेतु सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत अधिकृत। 4 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण

तहसील सैलाना

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिसका निराकरण किया जाना है।
1	2	3	4
01	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सैलाना	तहसील सैलाना / बाजना	1. रुपये 1/- से 5,00,000/- (रु. एक से पांच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. बाह्य न्यायालयों से प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सैलाना के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
02	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सैलाना	तहसील सैलाना / बाजना	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
03	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सैलाना के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश सैलाना	तहसील सैलाना / बाजना	1 रुपये 5,00,001/- से रुपये 1,00,00,000/- (रु पाँच लाख एक से एक करोड़ रु.) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदनपत्र। 3 500/- (पाँच सौ) तक के लघुवाद जिनकी सुनवाई हेतु सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत अधिकृत। 4 बाह्य न्यायालयों से प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सैलाना के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण। 5 जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
04	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना	तहसील सैलाना / बाजना	रिक्त न्यायालय
05	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना के अति न्यायाधीश सैलाना	तहसील सैलाना / बाजना	रिक्त न्यायालय
06	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना	तहसील सैलाना, बाजना	रिक्त न्यायालय

नोट :-

1. पूर्व से लंबित प्रकरणों पर इस कार्य विभाजन आदेश का प्रभाव नहीं होगा एवं यथावत उन्हीं न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निराकृत किये जावेंगे।
2. मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क. 1-3-2004/4823/2019/21-ब(एक) दिनांक 14.10.2019 के अनुसार निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अधीन मामलों के निपटारे के प्रयोजन के लिए राज्य के प्रत्येक सेशन खंड के सेशन न्यायालय/अतिरिक्त सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित किया गया है।
3. विशेष न्यायाधीश(अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण) अधिनियम का पद रिक्त होने की दशा में उनके न्यायालय के पूर्व एवं वर्तमान के अत्यावश्यक आवेदनपत्र का निराकरण जिला स्थापना के वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा किया जायेगा और सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है। इसके साथ ही जिस अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन में कार्यवाही की जावेगी। उन्हें पीठासीन अधिकारी समझा जायेगा।
4. विशेष न्यायाधीश(एनडीपीएस एक्ट 1985) का पद रिक्त होने की दशा में उनके न्यायालय के पूर्व एवं वर्तमान के अत्यावश्यक आवेदनपत्र का निराकरण जिला स्थापना के वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अधिसूचित किया जाता है। इसके साथ ही जिस अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन में कार्यवाही की जावेगी। उन्हें पीठासीन अधिकारी समझा जायेगा।
5. सदस्य, मोटर दावा अधिकरण अथवा अतिरिक्त सदस्य, मोटर दावा अधिकरण के लगातार एक सप्ताह के अवकाश पर होने या अनुपस्थित रहने की स्थिति में संबंधित अधिकरण में जमा क्लेम धनराशि का भुगतान 'आवश्यक कार्य' की श्रेणी में मानते हुए संबंधित प्रभार वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा निपटाये जाएंगे।
6. रतलाम व्यवहार जिले में पदस्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश अथवा अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य आपत्तियों एवं अंतरवर्तीय मामलों आदि उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए न्यायाधीशों द्वारा निपटाए जावेंगे :-

A	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम	विशेष न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में अष्टम(स्थापना पर वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश)/ तृतीय/प्रथम/पंचम/द्वितीय/षष्ठम/सप्तम/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
B	विशेष न्यायाधीश रतलाम	अष्टम(स्थापना पर वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश)/ तृतीय/प्रथम/पंचम/द्वितीय/षष्ठम/सप्तम/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम एवं सभी की अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
C	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	तृतीय/पंचम/द्वितीय/षष्ठम/सप्तम/अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम एवं विशेष न्यायाधीश सभी की अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
D	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	प्रथम/पंचम/ षष्ठम/सप्तम/अष्टम/ तृतीय/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम एवं विशेष न्यायाधीश सभी की अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
E	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	पंचम/ द्वितीय/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम एवं विशेष न्यायाधीश सभी की अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
F	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र	रिक्त न्यायालय

[illegible]

7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने अथवा अन्य प्रकार से अनुपस्थित होने की स्थिति में जिस अपराध कमांक के जमानत आवेदनपत्र के संबंध में जिस अधिकारी द्वारा पूर्व में

जमानत आवेदनपत्र का निराकरण किया है उसी अधिकारी के यहाँ पश्चातवर्ती जमानत आवेदनपत्र पेश होने पर स्वमेव ही अंतरित माना जावेगा।

- 8 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने अथवा अन्य प्रकार से अनुपस्थित होने की स्थिति में नवीन अपराध क्रमांक में आवेदकगण की ओर से जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तो उक्त आवेदनपत्र जिला मुख्यालय पर पर पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में क्रमानुसार (विशेष/प्रथम/द्वितीय/पंचम/सप्तम/अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश) एक-एक आवेदन स्वमेव अंतरित माना जावेगा उक्त क्रम पूर्ण होने एवं जमानत आवेदनपत्रों की संख्या नियत दिनांक पर पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश की संख्या से अधिक होने पर पुनः उपरोक्त क्रमानुसार जमानत आवेदनपत्र स्वमेव अंतरित माने जावेंगे।
- 9 तहसील न्यायालय जावरा एवं आलोट पर पदस्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में से जिस अधिकारी द्वारा पूर्व में जिस अपराध क्रमांक के जमानत आवेदनपत्र के संबंध में निराकरण किया गया है उसी अधिकारी के यहाँ पश्चातवर्ती जमानत आवेदनपत्र पेश होने पर स्वमेव ही अंतरित माना जावेगा।
- 10 तहसील जावरा में विविध अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण व अन्य प्रकरण जो कार्यविभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु तहसील जावरा पर पदस्थ वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा सुनवाई जी जावेगी।
- 11 तहसील आलोट में विविध अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण व अन्य प्रकरण जो कार्यविभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु तहसील आलोट पर पदस्थ वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा सुनवाई जी जावेगी।
- 12 मुख्यालय पर पदस्थ समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश अथवा अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने पर उक्त न्यायालयों का आवश्यक प्रभार प्रथम/द्वितीय/ अपर जिला न्यायाधीश जावरा/आलोट के पास रहेगा।
- 13 विशेष न्यायाधीश – विशेष सत्र प्रकरण (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण) अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरण, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रकरणों का प्रभार नोट क्रमांक 06 के अनुसार ही रहेगा।
- 14 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों में जिला मुख्यालय के समस्त स्थानीय थानों का प्रथम रिमान्ड अनन्य विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी एक्ट) रतलाम के न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे उनके अवकाश या अन्य कारण से अनुपस्थित रहने की स्थिति में संबंधित स्थानीय थाने के अधिकृत मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रथम रिमान्ड की कार्यवाही संपादित की जावेगी। इसी प्रकार तहसील न्यायालयों में प्रस्तुत अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में प्रथम रिमान्ड संबंधित थानों के अधिकृत मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही संपादित की जावेगी। तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके इंचार्ज मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।
- 15 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, जावरा के अवकाश एवं अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की स्थिति में एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों का कार्य उनके न्यायालय के उपस्थित प्रभारी अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।
- 16 विशेष न्यायाधीश, प्रथम,द्वितीय,तृतीय,चतुर्थ,पंचम,षष्ठम, सप्तम एवं अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में प्रधान सत्र न्यायाधीश रतलाम द्वारा आवश्यक आपराधिक कार्य की सुनवाई की

जावेगी तथा सभी की अनुपस्थिति में समस्त आवश्यक आपराधिक कार्य की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जावरा एवं उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा के द्वारा तथा उनकी अनुपस्थिति में अति. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोट तथा उनकी अनुपस्थिति में जिले में पदस्थ समस्त अपर सत्र न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 (3) के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक कार्य निपटाया जावेगा।

- 17 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम के अवकाश पर रहने के दौरान अत्यावश्यक आपराधिक कार्य हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10(2) के अन्तर्गत मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम द्वारा किया जावेगा।
- 18 रतलाम व्यवहार जिले में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड के अवकाश अथवा अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके न्यायालय से आपत्ति/अंतरवर्तीय मामले आदि आवश्यक कार्यवाही निम्न न्यायाधीशों के समक्ष दर्शाए गए न्यायाधीशों द्वारा निपटाये जायेंगे :-

1	प्रथम व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम	सप्तम/तृतीय/पंचम/चतुर्थ/षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय/तृतीय न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा
2	द्वितीय व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम एवं स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट	नोट क्रमांक 17 अनुसार
3	तृतीय व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम व ग्राम न्यायाधिकारी रतलाम	पंचम/चतुर्थ/षष्ठम/सप्तम/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय/तृतीय न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा
4	चतुर्थ व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम	तृतीय/पंचम/षष्ठम/प्रथम/सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय/तृतीय न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा
5	पंचम व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम	षष्ठम/चतुर्थ/सप्तम/तृतीय/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय/तृतीय न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा
6	षष्ठम व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम	चतुर्थ/सप्तम/तृतीय/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय/तृतीय न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा
7	सप्तम व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम	प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय/तृतीय न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम के अतिरिक्त न्यायाधीश रतलाम	रिक्त न्यायालय
9	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम	तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/नवम/दशम/ग्यारवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में तृतीय/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा सभी की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम।
10	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम	रिक्त
11	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम	चतुर्थ/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/नवम/दशम/ग्यारवें/प्रथम/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में 12तृतीय/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा सभी की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम।
12	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश	षष्ठम/सप्तम/अष्टम/नवम/दशम/ग्यारवें/प्रथम/तृतीय/चतुर्थ

[illegible]

36	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना	रिक्त न्यायालय
37	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सैलाना	रिक्त न्यायालय
38	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सैलाना	रिक्त न्यायालय
39	नोट क्र. 1	यदि किसी समय जिला मुख्यालय पर उपरोक्त तालिका अनुसार कोई भी प्रभारी अधिकारी उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में उस न्यायालय के आवश्यक कार्य का प्रभार मुख्यालय पर मौजूद वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश के पास रहेगा।

- 19 रजिस्ट्री जबलपुर द्वारा द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम को **रेल्वे मजिस्ट्रेट रतलाम** के पद पर अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम के न्यायालय से संबंधित समस्त साम्प्रतिक प्रकरणों का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम के द्वारा की जावेगी।
- 20 षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पाक्सो अधिनियम के प्रकरणों हेतु **अनन्य विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम** अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप उक्त न्यायालय से संबंधित समस्त साम्प्रतिक प्रकरणों का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम के द्वारा की जावेगी।
- 21 तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/6090 (ओ.ए.डब्ल्यू) तीन-6-6/84 दिनांक 13.08.2024 के द्वारा जिला मुख्यालय रतलाम पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध(ओ.ए.डब्ल्यू) के प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय से संबंधित समस्त साम्प्रतिक प्रकरणों का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई, के साथ उपरोक्त न्यायालय के मोटर दावा अधिकरण अथवा अतिरिक्त सदस्य, मोटर दावा अधिकरण से संबंधित अधिकरण में जमा क्लेम धनराशि का भुगतान आदि आवश्यक कार्य हेतु सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं भुगतान की कार्यवाही सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम के द्वारा की जावेगी।

- [illegible]

- [illegible]

- 37 तहसील जावरा पर पूर्व में पदस्थ रहे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रिक्त न्यायालयों का प्रभार (जिनका उल्लेख कार्यविभाजन आदेश में नहीं किया गया है) जो वर्तमान में रिक्त है उन न्यायालयों का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, जावरा तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, जावरा के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, जावरा के द्वारा की जावेगी ।
- 38 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) जावरा श्रृंखला न्यायालय आलोट एवं द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा श्रृंखला न्यायालय आलोट तथा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा श्रृंखला न्यायालय आलोट के रिक्त न्यायालयों का आवश्यक कार्य, उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/ निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोट तथा उनकी अनुपस्थिति में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोट के अतिरिक्त न्यायाधीश आलोट को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है । साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोट के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोट के द्वारा की जावेगी ।”
- 39 तहसील जावरा पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खंड के रिक्त न्यायालयों का प्रभार (जिनका उल्लेख कार्यविभाजन आदेश में नहीं किया गया है) जो वर्तमान में रिक्त है उन न्यायालयों का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा तथा उनकी अनुपस्थिति में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा के द्वारा की जावेगी ।

आलोट

- 40 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश आलोट का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट के द्वारा की जावेगी ।

- [illegible]

को तथा उनकी अनुपस्थिति में जिन न्यायाधीश के पास कार्य भार रहेगा उन्हें सिविल मामलों के निपटारे हेतु अधिकृत किया जाता है।


(नीना आशापुरे)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम (म.प्र.)

पृ. क्रमांक : 1511 / दो-2-1 / 2012-26
प्रतिलिपि :-

रतलाम, दिनांक : 22.04.2026

- 1- विशेष न्यायाधीश , रतलाम
- 2- समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम / जावरा / आलोट / सैलाना
- 3- समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम / जावरा / आलोट / सैलाना
- 4- प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायालय रतलाम.
- 5- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ रतलाम / जावरा / सैलाना / आलोट
- 6- जिला अभियोजन अधिकारी, रतलाम
- 7- प्रशासनिक अधिकारी / लेखापाल / सहा. लेखापाल / सांख्यिकी अनुभाग / तलबाना अनुविभाग / जिला न्यायालय रतलाम / आलोट / सैलाना
- 8- जे.एस.ए. कम्प्युटर अनुभाग रतलाम की ओर जिला न्यायालय की वेबसाईड पर अद्यतित करने हेतु की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम (म.प्र.)